राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक

दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:— सखअ / टोंक / निविदा / 2019 / 495— दिनांक :— 29.8.19

निदेशक,
निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

विषय :— जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक, निविदाए, आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति 8 आठ प्रतियों में मय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिलास्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

भवदीय
29.08.2019
(अमीचन्द दुहारिया)
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

क्रमांक खअ / जय / निविदा / 2019 / 496-503 दिनांक 29.8.19

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक टांक
3. श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र ,जयपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत, जयपुर।
7. श्रीमान खनि अभियन्ता, जयपुर ।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना बरोनी, निवाई शहर, निवाई सदर, डिग्गी, पीपलू, झिराना चौकी थाना अन्तर्गत पीपलू, नया पुलिस थाना पीपलू, मालपुरा, टोडारायसिंह, मौर चौकी अन्तर्गत थाना टोडारायसिंह, मेहन्दवास जिला टोंक
9. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।

29.08.2019
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/टोंक/निविदा/2019/504 दिनांक :– 29.8.19

नीलामी सूचना प्रकाशन 01/2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टोंक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जप्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाती है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रू. 1,000/– का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 17 सितम्बर 2019 (दोपहर 3.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

विभिन्न थाना क्षेत्रो में जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 17 सितम्बर 2019 (सांयकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2019 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

29.08.2019
सहायक खनि अभियन्ता टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक

दूरभाष न. 01432–247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ / टोंक / निविदा / 2019 / 805 दिनांक :– 29.8.19.

टोंक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 17 सितम्बर 2019 (सायंकाल 5.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। **प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2019 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर –1 में खोली जायेगी,** जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)
1	बरोनी	4900	269500	2695000
2	निवाई शहर	1700	93500	935000
3	निवाई सदर	1400	77000	770000
4	डिग्गी	3250	178750	1787500
5	पीपलू	1250	68750	687500
6	झिराना चौकी अन्तर्गत थाना पीपलू	200	11000	110000
7	नया पुलिस थाना पीपलू	1000	55000	550000
8	मालपुरा	1250	68750	687500
9	टोडारायसिंह	400	22000	220000
10	मौर चौकी पुलिस थाना टोडारायसिंह	4250	233750	2337500
11	मेहन्दवास	200	11000	110000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 17 सितम्बर 2019 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना / अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक** जो **सहायक खनि अभियन्ता, टोंक** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–2 थाना परिसर / पुलिस चौकी की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना / अमानता राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।

Scanned by CamScanner

3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना परिसर में की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी थाना परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2019 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 5 एवं अधिकतम 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वा ली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिहवन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नही होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियॉ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नही हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

Scanned by CamScanner

20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नही होगा।

21. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।

22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथकिता दी जावेगी।

29/08/2019

(अमीचन्द दुहारिया)
सहायक खनि अभियन्ता टोंक

क्रमांकः– सखअ/टोंक/नीलामी/2019/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोट किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर टोंक।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना बरोनी, निवाई शहर, निवाई सदर, डिग्गी, पीपलू, झिराना चौकी थाना अन्तर्गत पीपलू, नया पुलिस थाना पीपलू, मालपुरा, टोडारायसिंह, मौर चौकी अन्तर्गत थाना टोडारायसिंह, मेहन्दवास जिला टोंक
7. कनिष्ठ लेखकार, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

29/08/2019

सहायक खनि अभियन्ता टोंक

Scanned by CamScanner